

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION
NEW DELHI REGIONAL OFFICE



NBFC-ICC

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या B-14.03573

No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीजेन्सी शेयर्स एण्ड होल्डिंग्स प्रा॰ लि॰ को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Regency Shares & Holdings P. Ltd.

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

नई दिल्ली

में मई

दो हज़ार

बाईस

की तेरहवीं

तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

New Delhi

this Thirteenth

day of

May

Two Thousand T

Twenty Two

(In lieu of earlier Certificate of Registration No 05.00542 dated March 02, 1998 issued by RBI Kolkata in the name of Regency Shares & Holdings P. Ltd.)

शिव कुमार यादव

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक